संख्या–भा.स.–03 / 14–2–2019–800(187) / 2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 18 **जनवरी, 2019**

विषय :– जनपद वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 11.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 07 / 3 / 2019 / एफ.सी / 578 दिनांक 16.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2019 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./07/3/2019/एफ.सी. /578 दिनॉकः 16.01.2019

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Rail/29433/2017)

विषयः जनपद वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–3975/14–2–2018–800(187)/2018, लखनऊ, दिनांक–10.01.2019.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1- Details of Muck disposal scheme including place of dumping/disposal has not been submitted, which needs submission.

2- Cross sectional Map of the track with justification of area of proposed Forest diversion needs to be submitted.

3- NOC of the concerned department for use of areas at crossing points with Road must be submitted.

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
5. परियोजना निदेशक, बीएसबी, इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

16.01.19

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)